

Your Tech-Friendly Bank

कार्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवाएं कक्ष 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा चेन्नै 600 014

Corporate Office, Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah Chennai 600 014.

आठवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस Notice of Eighth Annual General Meeting

चेन्नै में शुक्रवार, 27 जून, 2014 को सुबह 10.00 बजे आयोजित

Friday, the June 27, 2014 at 10.00 a.m. at Chennai

विषयवस्तु

पृष्ठ संख्या

सूचना	4
टिप्पणियाँ	4
स्पष्टीकरण विवरण	12
निदेशकों का चुनाव — संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण	22
नामांकन फॉर्म	39
घोषणा फॉर्म	41
उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रारूप	43
एनईसीएस अधिदेश / बैंक खाता विवरण हेतु फॉर्म	47
प्राक्सी फार्म	49
उपस्थिति पर्ची / एंट्री पास / बैलट पेपर पास	51

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013—14, अलग रूप से भेजी जा रही है।

ई—वोटिंग के लिए इलेक्ट्रानिक वोटिंग शृंखला संख्या (ईवीएसएन) :	140526004
---	-----------

CONTENTS

Page No

Notice	5
Notes	5
Explanatory Statement	13
Election of Directors – Extracts of relevant Acts, Scheme and Regulations, etc.	23
Nomination Form	40
Declaration Form	42
Format for providing personal information of the candidate	44
Form for NECS Mandate/Bank Account Details	48
Proxy Form	50
Attendance Slip/Entry Pass/Ballot Paper Pass	52

The Annual Report of the Bank for the year 2013-14 is being sent separately.



प्रधान कार्यालय : 66 राजाजी सालै, चेन्नै 600 001 कॉर्पोरेट कार्यालय : 254—260 अव्वै षण्मुगम सालै, चेन्नै 600 014

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **इंडियन बैंक** के शेयरधारकों की **आठवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार दिनांक 27 जून 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028 में आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देष्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:**

- बैंक के 31 मार्च 2014 को समाप्त वार्षिक लेखा परीक्षित तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे व लेखों द्वारा कवर की गई अविध के लिए बेंक के कार्यों व कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र व लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना एवं अपनाना।
- 2. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश, यदि कोई हो, तो घोषित करना।
- 3. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके पश्चात् 'योजना' शब्द से जाना जाएगा) और इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1999 (इसके पश्चात् "विनियमन" शब्द से जाना जाएगा) जोकि अधिनियम की धारा 19 के अनुपालन में बनाया गया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र डीबीओडी.बीसी.बीओ.95/29.39.001/2010—11 दिनांक मई 23, 2011 के साथ पठित उनकी अधिसूचना (इसके पश्चात् भारिबैंक की अधिसूचना कहा जाएगा) सं. डीबीओडी सं.बीसी सं. 46/29.39.001/2007—08 दिनांक नवंबर 01, 2007 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) की शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों में से (केन्द्रीय सरकार के अलावा) दो निदेशकों को निर्वाचित करना, जोकि निम्नलिखित संकल्प पारित करने के जरिए किया जाएगा:—

''संकल्प किया जाता है कि योजना, विनियमन और उसके अंतर्गत की जानेवाली अधिसूचनाओं के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(I) के अनुपालन में शेयरधारकों में से केन्द्रीय सरकार से अन्य दो निदेशकों को निर्वाचित किया जाए तथा किया जाता है, जो जुलाई 01,2014 से कार्यभार ग्रहण करेंगे और ऐसे कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने के समय तक इस पद पर रहेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : मई 23, 2014

टी एम भसीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

टिप्पणियाँ

i. स्पष्टीकरण विवरण

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इस के साथ संलग्न है।

ii. मतदान करने के अधिकारः

अधिनियम की धारा 3 की उप—धारा (2 ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का किसी भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक पड़नेवाले, अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

उपर्युक्त के अध्यधीन कट—ऑफ की तारीख, अर्थात् शुक्रवार, मई 23,2014 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक, बैंक के दो शेयरधारक—िनदेशकों (चुनाव) को निर्वाचित करने की प्रक्रिया में भाग लेने (नामित करना, चुनाव लड़ना और मतदान देना) के लिए हकदार होंगे और उनको अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत (वोट) प्राप्त होगा तथा कंपनी (प्रबन्धन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित सूचीबद्ध करने के करार के खण्ड 35बी के अन्तर्गत आम वार्षिक बैठक में करने के लिए अपेक्षित कारोबार के संबंध में कार्यसूची मदों (निर्वाचन से अन्य) के लिए ई—वोटिंग में भाग लेने का हकदार होगा।



Head Office: 66, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on Friday, the June 27, 2014 at 10.00 a.m. at IMAGE Auditorium, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028 to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at March 31, 2014, the Profit and Loss account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To declare dividends for the year ended March 31, 2014, if any.
- 3. To elect two Directors from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No.DBOD No.BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 read with No.DBOD.BC.Bo.95/29.39.001/2010-11 dated May 23, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and Notifications made there under, be and are hereby elected as the Directors of the Bank to assume office from July 01, 2014 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Place: Chennai Date: May 23, 2014 T M Bhasin
Chairman and Managing Director

NOTES

i. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

ii. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off date i.e, on Friday, the May 23, 2014 will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of two Shareholder Directors of

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में है, तो मतदान के प्रयोजनों के लिए रिजस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अतः, यदि शेयर संयुक्त शेयरधारकों के नाम में है, तो सिर्फ प्रथम नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने का हकदार है और बैठक में नामित करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने का हकदार है।

iii. प्राक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखने वाले शेयरधारक को अपने बदले बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक है और ऐसे प्रतिनिधि का, बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रतिनिधि फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, वह बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले, अर्थात् शनिवार, दिनांक जून 21, 2014 को बैंक के बन्द होने के समय पर या उससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

iv. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्पोरेट निकाय, जोकि बैंक का शेयरधारक है, विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने या मत देने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसको विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की, जिस बैठक में वह पारित किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग—2—सी, दूसरा तल, सं.254—260, अव्यै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014, के पास बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार जून 21, 2014 को या उससे पहले बैंक बंद होने के समय के पूर्व जमा नहीं करायी जाती है।

V. उपस्थिति पर्ची – सह – प्रविष्टि पास– सह– बैलट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची — सह प्रविष्टि पास — सह— बैलट पेपर पास को इस सूचना के साथ संलग्न किया गया है। शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व उपस्थिति पर्ची—सह प्रविष्टि पास को बैठक के स्थान पर सौंप दें। किसी शेयरधारक के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि, उपस्थिति पर्ची—सह प्रविष्टि पास पर ''प्रतिनिधि'' या ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करेंगे। पोल के समय बैलट पेपर प्राप्त करने हेतु ऐसे प्रवेशपत्रों को अभ्यर्पित किया जाए।

vi. बुक क्लोजर

शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की शेयर हस्तांतरण बहियाँ, बुधवार, जून 25, 2014 से शुक्रवार जून 27, 2014 तक (दोनों दिन सम्मिलित है), वार्षिक आम सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ एवं लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उसकी अदायगी हेतु शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने के लिए बन्द रहेंगी।

vii. लाभांश का भुगतान :

शेयरधारकों द्वारा यथानुमोदित रूप से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान, इस तारीख तक प्राप्त शेयर अंतरण अनुरोधों पर विचार करने के बाद ऐसे शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम बैंक के शेयरधारकों के रिजस्टर में मंगलवार, जून 24, 2014 को उपलब्ध हैं और ऐसे शेयरधारकों के संबंध में जो निक्षेपागारों द्वारा बैंक को उपलब्ध कराई गई मंगलवार, जून 24, 2014 तक की सूची के अनुसार डीमेटीरियालायज़ड रूप से अपने शेयर धारित किए हुए हैं, किया जाएगा तथा वार्षिक आम सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अन्दर लाभांश अधिपत्र डाक से भेज दिए जाएंगे / लाभांश की राशि जमा कर दी जाएगी।

viii. ट्रान्स्फर्सः

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाण पत्रों को नीचे पैरा (x) में दिए गए पते में प्रेषित करना चाहिए।

ix. लाभांश पत्रों / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण :

बेंक, जहाँ भी संभव हो, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सेवा सुविधा (एनईएफटी) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा सुविधा (एनईसीएस) के जिरए शेयरधारकों के बैंक खातों में लाभांश की राशि को जमा करने के लिए प्रयास करता है। जो शेयर होल्डर इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयरों को धारित कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागी को अपने पते में अद्यतन परिवर्तन और बैंक अधिदेश विवरणों को (नया खाता संख्या यदि हो, बैंक एमआईसीआर और आईएफएस कोड नं. सिहत) तत्काल प्रस्तुत करें तािक एनईएफटी / एनईसीएस के जिरए लाभांश की राशियों को जमा की जा सके। जिन शेयरधारकों ने डीमैट रूप से शेयरों को धारित किया हुआ है, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी से संपर्क करें।

the Bank (Election) and shall have one vote for each share held by him/her and to participate in e-voting on the agenda items (other than Elections) to be transacted at the Annual General Meeting as required under Clause 35B of the listing agreement read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

iii. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy Form, in order to be effective, must be received at the Corporate Office of the Bank not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the June 21, 2014.

iv. APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, No.254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday, the June 21, 2014.

v. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM - BALLOT PAPER PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance-Slip-Cum-Entry-Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. Such Entry Passes shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

vi. BOOK CLOSURE:

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Wednesday, the June 25, 2014 to Friday, the June 27, 2014 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of shareholders for payment of final dividend declared, if any, at the Annual General Meeting.

vii. PAYMENT OF DIVIDEND:

Payment of dividend as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on Tuesday, the June 24, 2014 after considering share transfer requests received till that date and in respect of shareholders holding their shares in dematerialized form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on Tuesday, the June 24, 2014 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of the Annual General Meeting.

viii. TRANSFERS:

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given in Para (x) below for the transfer of shares of the Bank.

ix. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS / NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS):

The Bank will credit the dividend amounts to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are

ऐसे शेयरधारक जो अपने शेयर भौतिक रूप से रखे हुए हैं, वे, अपने रिकार्डों को अद्यतन बनाने के लिए बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा कक्ष को या रजिस्ट्रार को और नीचे पैरा (X) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को मंगलवार, जून 24, 2014 को या उससे पूर्व भेजें।

बैंक मात्र ऐसी परिस्थिति में लाभांश वारंट जारी करेगा जब इलेक्ट्रानिक रूप से भुगतान करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है या भुगतान के अनुदेश विफल हो गए हैं या बैंकर ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। ऐसे मामलों में बैंक अनिवार्य रूप से ऐसे लाभांश वारंटों पर निवेशकों के बैंक खाते के विवरण मुद्रित करेगा। यदि कोई बैंक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक द्वारा शेयरधारक को लाभांश वारंट नहीं भेजने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

ईसीएस अधिदेश / बैंक अधिदेश का एक प्रारूप संलग्न है।

x. पते में परिवर्तन:

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना, बैंक के शेयर अन्तरण एजेन्ट को निम्नांकित पते पर दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड (यूनिट : इंडियन बैंक) सुब्रमणियन बिल्डिंग, नं.1, क्लब हाउस रोड, चेन्नै 600 002

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में हुए किसी भी परिवर्तन और ईसीएस अधिदेश के विवरण की सूचना सिर्फ अपने निक्षेपागार प्रतिभागी(गियों) को दें।

xi. शेयरधारकों से अनुरोध

- ए) शेयरधारकों / प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां ले आएँ। कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक सामान्य बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी।
- बी) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक के स्थान पर कोई भेंट / कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

जो शेयरधारक लेखों पर कोई सूचना पाना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा कक्ष को लिखें, जो वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले बैंक को प्राप्त हो सके, तािक प्रबंधन जानकारी को तैयार रख सकें। शेयरधारक यह नोट करें कि सूचना / स्पष्टीकरण सिर्फ वार्षिक सामान्य बैठक में ही दिए जाएंगे।

xii. ई-वोटिंग

बैंक के सभी सदस्यों को केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएँ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के जिए विकल्प के रूप में कार्यसूची मद 1 और 2 के संबंध में ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने में बैंक को हर्ष हो रहा है ताकि दिनांक मई 23, 2014 की बैंक की आठवीं वार्षिक आम बैठक की नोटिस (एजीएम नोटिस) में उल्लिखित संकल्पों के संबंध में वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकें। ई—वोटिंग की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संयोजित करने हेतु बैंक ने श्री एस एन अनन्तसुब्रमणियन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव वा उनसे न होने पर सुश्री मालती कुमार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को संवीक्षक के स्थान पर नियुक्त किया है। ई—वोटिंग वैकल्पिक है।

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:--

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन) 140526004 है

- (ए) ई—मेल प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में :
- i. यदि आप डीमेट रूप से शेयर धारित करते हैं और किसी कंपनी के ईवीएसएन में मतदान देने के लिए आपने कभी www.evotingindia.com में लॉग—आन किया है तो आपके वर्तमान लॉग—इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जाए।

holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details (including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code numbers) immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their **DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY** for necessary action in this connection.

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish / update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (x) below on or before, Tuesday, the June 24, 2014.

The Bank will issue dividend warrants if and only if, necessary information required for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available, the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrant to the shareholders.

Aproforma of ECS Mandate/Bank Mandate is enclosed.

x. CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Cameo Corporate Services Limited (Unit : Indian Bank) Subramanian Building No.1, Club House Road Chennai - 600 002.

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details **only to their respective Depository Participant(s)**.

xi. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

- a) Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of Annual Report to the Meeting. Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.
- b) Shareholders may kindly note that no gifts / coupons will be distributed at the venue of the Meeting.

Shareholders who wish to seek any information on the accounts are kindly requested to write to the Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

xii. E-voting

The Bank is pleased to provide e-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative in respect of Agenda Items 1 and 2, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of 8th Annual General Meeting of the Bank dated May 23, 2014 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. S. N. Ananthasubramanian, Practicing Company Secretary or failing him Ms. Malati Kumar, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is

140526004

(A) In case of members receiving e-mail:

i) If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.

- ii) ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
- iii) अपने वोट डालने के लिए "शेयरहोल्डर" टैब पर क्लिक करें।
- iv) अब ड्राप डाउन मेनु से ''कंपनी नाम'' के साथ इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला नंबर ''ईवीएसएन'' का चयन करें और ''सिब्मट'' पर क्लिक करें।
- v) अब उपयुक्त बक्सों में निम्नलिखित विवरण भरें :-

	डीमेट रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	भौतिक रूप से शेयर धारित करनेवाले सदस्यों के लिए	
यूसर आईडी	एनएसडीएल हेतु : 8 कैरक्टर डीपीआईडी तथा उसके बाद 8 अंकोंवाला ग्राहक आईडी सीडीएसएल हेतु : 16 अंकोवाला हिताधिकारी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर	
पीएएन *	ई—वोटिंग करते समय जब आपका सिस्टम मांगता है, तब आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा—न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पीएएन' दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक, दोनों के लिए लागू)		
डीओबी #	आपके डीमेट खाते में रिकार्ड किए अनुसार या कथित डीमेट खाते या फोलियो में कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार जन्म की तारीख को प्रविष्ट करें।		
लाभांश बैंक विवरण #	आपके डीमेट खाते में या कथित डीमेट खाते या फोलियो के लिए कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए अनुसार लाभांश बैंक विवरण दर्ज करें।		

^{*} जिन सदस्यों ने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना पीएएन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डिफाल्ट नंबर <Default number> का प्रयोगए, पीएएन फील्ड में करें।

लॉगइन करने हेतु कृपया किसी एक विवरण दर्ज करें।

- vi इन विवरणों को उपयुक्त ढंग से प्रविष्ट करने के बाद "सब्मिट" टैब को क्लिक करें।
- vii) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले सदस्य इसके बाद सीधे वोटिंग स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब "पासवर्ड बदलने" के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लागइन पासवर्ड को बदलें। नये पासवर्ड में कम से कम 8 कैरक्टर हों जिसमें से एक ऊपरी केस (बडे अक्षर A से Z) में हों, एक निचले केस (छोटे अक्षर A से Z) हों, एक अंक (0–9) हो और एक विशेष कैरक्टर हों (@#\$%&*)। हमारी सख्त सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड शेयर न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें। कृपया नोट करें कि इस परिवर्तित पासवर्ड का प्रयोग, डीमैट धारकों द्वारा इस कंपनी के या अन्य किसी कंपनी के, जहाँ वे मतदान देने के लिए पात्र हैं, संकल्पों के लिए मतदान देने में किया जाएगा, बशर्तें कि कंपनी सीडीएमएल प्लैटफार्म के जिए ई—वोटिंग का विकल्प देती है।
- viii) संबंधित ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिसमें मतदान देने का विकल्प आप रखते हैं।
- ix) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु "हाँ / नहीं" का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार हाँ या नहीं का चयन करें। हाँ विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।
- x) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- xi) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद ''सब्मिट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओकें' (OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- xii) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (B) एजीएम की नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करनेवाले सदस्यों के मामले में (ऐसे सदस्य जिनके ई-मेल आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है/निक्षेपागार प्रतिभागी या भौतिक प्रति के लिए अनुरोध करनेवाले):-

कृपया मतदान देने हेतु ऊपर क्रमांक (ii) से क्रमांक (xii)का अनुकरण करें।